# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**निगरानी रिफण्ड प्रार्थना पत्र 2048/2014 पाली**

श्री मदनलाल पुत्र धनराज जैन
निवासी 6, शिवनगर कमलेश मार्केट के पास
मैनमण्डिया रोड, पाली .....प्रार्थी

**बनाम्**

1. जिलाधीश (मुद्रांक) पाली
2. राज्य सरकार जरिये उप पंजीयक, पाली .....अप्रार्थी

**एकलपीठ**
**राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष**

**उपस्थित ::**
श्री सुनील पारीक,
अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से

श्री जमील जई
उप–राजकीय अधिवक्ता, .....अप्रार्थीगण की ओर से

**दिनांक : 16..12.2014**

## निर्णय

यह प्रकरण निगरानी अन्तर्गत धारा 65 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिलाधीश (मुद्रांक) पाली दिनांक 26.08.2014 प्रस्तुत की गयी है।

वकील निगरानीकर्ता श्री सुनील पारीक एवं उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई उपस्थित। जिन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील निगरानीकर्ता ने प्रकरण के बारे में बताया कि निगरानीकर्ता ने बालोतरा तहसील पचपदरा में मकान क्रय करने हेतु दिनाक 18.102012 को रू. 60,000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प, स्टेम्प वेण्डर पाली से क्रय किये और दिनांक 12.07.2013 को जसौल उप पंजीयक कार्यालय की पंजीयन शाखा में उक्त दस्तावेजों को दिनांक 10.07.2013 को टंकित करवा कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया। उस पर उप पंजीयक ने पंजीयन करने से मना कर कथन किया कि राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 11.07.2013 से आगामी आदेशों तक पंजीयन प्रतिबंधित किया है। इसके बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 03.03.2014 को पंजीयन कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की गयी। निगरानीकर्ता व्यवसाय के सम्बन्ध में उक्त अवधि में बाहर होने के कारण पंजीयल कार्यवाही प्रारम्भ होने की जानकारी मिलने पर दस्तावेज

पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने पर उप पंजीयक जसौल के समक्ष पंजीयन हेतु देने पर उप पंजीयक जसौल द्वार उक्त स्टेम्प अवधि पार होने के कारण पंजीयन करने से मना कर दिया। निगरानीकर्ता को सौदा पंजीयन नहीं होने से निरस्त हो गया जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा उक्त स्टेम्प रिफण्ड करने का निवेदन किया गया।

निगरानीकर्ता ने विद्वान जिलाधीश (मुद्रांक) वृत, पाली के समक्ष प्रार्थना पत्र मय मूल स्टेम्प रू. 60,000/— बाबत स्टेम्प रिफण्ड करने हेतु दिनांक 05.08.2014 को पेश किया परन्तु विद्वान जिलाधीश (मुद्रांक) वृत, पाली ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र रिफण्ड अन्दर मयाद नहीं होने के आधार पर दिनांक 26.08.2014 को अस्वीकार कर दिया। इस आदेश व्यथित होने पर निगरानीकर्ता ने यह प्रार्थना पत्र कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया है। वकील निगरानीकर्ता का कहना है कि विद्वान जिलाधीश (मुद्रांक) वृत, पाली द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं राहत के सर्वथा विपरीत है। उनका कहना है कि विद्वान जिलाधीश (मुद्रांक) वृत, पाली ने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया कि राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश दिनांक 11.07.2013 से उप पंजीयक कार्यालय पचपदरा एवं जसौल में पंजीयन कार्यवाही पर रोग लगायी एवं वित्त विभाग के आदेश दिनांक 03.03.2014 द्वारा कुछ क्षैत्र में पंजीयन कार्यवाही पुनः प्रारम्भ किये जाने के निर्देश जारी होने तक की अवधि में निगरानीकर्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जासकती थी। इस कारण दिनांक 11.07.2013 से 03..03.2014 की अवधि के समय को घटाये जाने पर निगरानीकर्ता के स्टेम्प दस्तावेज रिफण्ड किये जाने योग्य थे जिन्हे गलत एवं मनमाने तौर पर प्रकरण की वास्तविक परिस्थितियों को समझे बिना ही प्रार्थना पत्र रिफण्ड को मयाद बाहर मान कर अस्वीकार कर निहित क्षैत्राधिकार का मनमाना प्रयोग किया गया है। निगरानीकर्ता के वकील का कथन है कि पंजीयन से रोक हटाये जाने के आदेश दिनांक 03.03.2014 की जानकारी होने पर निगरानीकर्ता ने दिनांक 21.04.2014 को दस्तावेज पंजीयन बाबत प्रस्तुत किये जिसे उप पंजीयक महोदय ने मयाद बाहर होने का हवाला देते हुये दस्तावेज लौटा दिये। प्रार्थी द्वारा विद्वान जिलाधीश (मुद्रांक) वृत, पाली के समक्ष दिनांक 05.08.2014 को स्टेम्प रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अन्दर मयाद नहीं मानते हुये अस्वीकार कर दिया गया। निगरानीकर्ता के वकील का कहना है कि प्रार्थी द्वारा दस्तावेज बाबत क्रय स्टेम्प पंजीयन कार्यवाही पर रौक होने के कारण सौदा निरस्त हो गया एवं उक्त स्टेम्प पर न

किसी पक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये गये और न ही उक्त स्टेम्प पर किसी प्रकार की तारीख अंकित की गयी है। इस कारण भी उक्त स्टेम्प धारा 58 डी (3) के अनुसार किसी गलती या भूल के कारण मूल रूप से आशयित प्रयोजन के लिये अनउपयुक्त हो जाने से रिफण्ड योग्य थे जिसकी मयाद छः माह मानी गयी है। उक्त स्टेम्प के लिये मयाद की अवधि दिनांक 03.03.2014 से छः माह तक मानी जावेगी जबकि प्रार्थी ने समय रहते दिनांक 05.08.2014 को ही रिफण्ड हेतु आवेदन किया परन्तु विद्वान जिलाधीश (मुद्रांक) वृत, पाली ने गलत व मनमाने तौर पर उसके प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर त्रुटि की है। निगरानीकर्ता का कहना है कि विद्वान जिलाधीश (मुद्रांक) वृत, पाली ने मानमाने तौर पर राजस्थान स्टेम्प एक्ट की धारा 59 (2) एवं राजस्थान वित्त विधेयक 2013 के अध्याय चार में स्टेम्प एक्ट 1998 की संशोधित धारा 63 क के बिन्दु ख का गलत अर्थ निकालते हुये विधिक त्रुटि की है। अपने पक्ष में वकील निगरानीकर्ता द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 22.02.2008 का हवाला दिया जो कि प्रकरण संख्या 261/2008 एस सी सैठी बनाम सरकार में जारी किया गया है। वकील निगरानीकर्ता का कथन है कि राजस्थान कर बोर्ड के इस निर्णय के अनुसरण में उनको स्टेम्प रिफण्ड हेतु योग्य है अतः विद्वान जिलाधीश (मुद्रांक) वृत, पाली के आदेश दिनांक 26.08.2014 को निरस्त किया जाय एवं प्रार्थी के स्टेम्प की राशि रू. 60,000/– नियमानुसार रिफण्ड किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाय।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई का कथन है कि स्टेम्प पेपर दिनांक 18.10.2012 को क्रय किये गये थे परन्तु पंजीयन हेतु प्रस्तुतीकरण दिनांक 10.07.2013 को किया गया जो कि छः माह की मयाद से बाहर है अतः इसी आधार पर निगरानी प्रार्थना पत्र रिफण्ड निरस्तनीय है। उनका यह भी कहना है कि राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 11.07.2013 से 03.03.2014 के मध्य जारी प्रतिबन्ध का इस निगरानी पर कोई प्रभाव नहीं पडता है एवं स्टेम्प अधिनियम की धारायें 59 (1),(2) एवं (3) इस प्रकरण पर आकृष्ठ नहीं होती है।

अपने रिज्योइण्डर आरग्यूमेन्ट में वकील निगरानीकर्ता का कहना है कि स्टेम्प पर न तो किसी के हस्ताक्षर है और न ही दिनांक अंकित है अतः इसे गैर निष्पादित माना जाय एवं धारा 59 (2) के तहत् वह राहत पाने का हकदार है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजस्थान कर बोर्ड के निगरानी संख्या 261/2008 श्री एस सी सैठी बनाम राजस्थान सरकार मामले में जारी निर्णय दिनांक 22.02.2008 को अवलोकन किया। इस प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार थे कि प्रार्थी द्वारा 33,060.00 के ज्युडिशियल स्टाम्प दिनांक 07.07.2005 को किराया नियंत्रण अधिकरण में वाद प्रस्तुत करने के लिये क्रय किये गये थे। प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.07.2005 को इस मुद्रांक के आदेश के आधार पर किराया नियंत्रण अधिकरण, जयपुर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया परन्तु दिनांक 13.02.2006 को न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र ग्राहय नहीं होने के कारण लौटाने के आदेश पारित किये गये तथा दिनांक 04.08.2006 को प्रार्थी द्वारा मुद्रांक लौटाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा 04.04.2007 को मुद्रांक प्रार्थी को लौटाने के आदेश दिनांक 14.05.2007 को अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर के समक्ष रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर ने इस प्रार्थना पत्र को मुद्रांक क्रय किये जाने की तिथि 07.07.2005 के आधार पर छः माह से अधिक की अवधि होने के कारण मयाद बाहर मानते हुये रिफण्ड के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकरण में राजस्थान कर बोर्ड ने यह माना है कि रिफण्ड की समयावधि के लिये 08.07.2005 से 04.04.2007 की अवधि नहीं मानी जावेगी क्योंकि उस समय तक मुद्रांक न्यायालय के पास होने के कारण रिफण्ड का प्रकरण ही नहीं था। मुद्रांक लौटाये जाने के आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये उसके पश्चात् ही रिफण्ड का प्रकरण बनता है अतः इस प्रकरण में दिनांक 04.04.2007 से पूर्व प्रार्थी रिफण्ड के लिये आवेदन नहीं कर सकता था।

राजस्थान कर बोर्ड के उक्त आदेश के मध्य नजर हम इस निष्कर्ष पर पहूंचते हैं कि छः माह की अवधि की गणना करने के लिये दिनांक 03.03.2014 एक अहम बिन्दु है और छः माह की गणना इसी दिनांक से की जानी चाहिये। उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान जिलाधीश (मुद्रांक) वृत, पाली के समक्ष दिनांक 05.08.2014 को मुद्रांक रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया जो कि समयावधि के अन्दर ही है। इसके अतिरिक्त धारा 63 ए राजस्थान स्टेम्प एक्ट 1998 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि यह धारा इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है क्योंकि इस प्रकरण में स्टेम्प वर्ष 2012 में क्रय किये गये हैं।

अतः उपरोक्त के आधार से स्पष्ट है कि विद्वान जिलाधीश (मुद्रांक) वृत, पाली का आदेश दिनांक 26.08.2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण पुनः विद्वान जिलाधीश (मुद्रांक) वृत, पाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी निगरानीकर्ता को रू. 60,000/– के स्टेम्प नियमानुसार रिफण्ड किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाय।

निर्णय सुनाया गया।

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष